न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 75/2019

1 सत्यवीर पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी चुड़ीना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 शकुन्तला स्त्री सज्जनसिह
2 लाली स्त्री लालचन्द जाति बावरिया निवासी चुड़ीना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955
अपील बखिलाफ निर्णय दिनांक 31.08.2018
बअदालत उपखण्ड अधिकारी बुहाना मुकदमा
उनवानी शकुन्तला बनाम सत्यवीर मु.नं. 75/2018
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

—निर्णय—

दिनांकः— 17·10·24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 75/2018 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 512 वाके ग्राम चुड़ीना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 512 रकबा 1.44 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम चुड़ीना तहत तहसील बुहाना में स्थित है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं की विस्तृत व्याख्या किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा पेश किया उसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं थी क्योंकि जितने पक्षकार दावा में है उतने सभी पक्षकार कानून से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बनाया जाना चाहिये विचारण न्यायालय के समक्ष जितने पक्षकार दावा में थे उतने पक्षकार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में नहीं बनाये इस कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट उक्त जमीन में से   हैक्टेयर जमीन का सह खातेदार है कानून से रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व प्रार्थना पत्र जारी नहीं की जा सकती। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने इकबाली जवाब पेश नहीं किया। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वकील साहब को इकबाली जवाब पेश करने की कभी स्वीकृति नहीं दी। विचाराधीन निर्णय स्पष्ट रूप से पारित नहीं किया विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में कही भी यह नहीं लिखा कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में प्रथम दृष्टया कैसे बनता है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि वाके ग्राम चुड़िना स्थिति भूमि खसरा नम्बर 512 रकबा 1.44 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी भूमि है। संयुक्त खातेदारी का खाता विभाजन नहीं हुआ है। वाके ग्राम चुड़िना स्थित भूमि खसरा नम्बर 512 रकबा 1.44 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा उभयपक्षकारान निर्माण को लेकर आपसी विवाद कर रहे है। चुंकि संयुक्त खातेदारी भूमि पर सभी पक्षकारान का प्रत्येक भाग पर हक अधिकार है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को पाबंद नहीं किया गया तो अनावश्यक विवाद को बढ़ावा मिलेगा। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो वाद बाहुल्यता भी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलांट की विचारण न्यायालय में जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। प्रस्तुत अपील 14 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कि विवादित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भूमि वाके ग्राम चुड़िना स्थिति भूमि खसरा नम्बर 512 रकबा 1.44 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी भूमि है। संयुक्त खातेदारी का खाता विभाजन नहीं हुआ है। वाके ग्राम चुड़िना स्थित भूमि खसरा नम्बर 512 रकबा 1.44 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा उभयपक्षकारान निर्माण को लेकर आपसी विवाद कर रहे है। चुंकि संयुक्त खातेदारी भूमि पर सभी पक्षकारान का प्रत्येक भाग पर हक अधिकार है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को पाबंद नहीं किया गया तो अनावश्यक विवाद को बढ़ावा मिलेगा। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो वाद बाहुल्यता भी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलांट की विचारण न्यायालय में जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। प्रस्तुत अपील 14 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर